

मुख्य सतर्कता अधिकारी, रा.ज.वि.अ. के कार्य

- संवेदनशील सड़कों/स्थानों पर नियमित एवं आकस्मिक जाँच आयोजित करना।
- जिन प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार या दुराचार होने की संभावना है, उन प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उन्हें सरल बनाना और रा.ज.वि.अ. के कार्यालय में भ्रष्टाचार एवं अन्य अपकर्मों के रोकथाम, अन्वेषण और दंड के लिए अन्य उपाय निकालना।
- रा.ज.वि.अ. के कर्मचारी सदस्यों/ जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करना।
- अनुशासनिक एवं सतर्कता मामलों के कार्यवाही में रा.ज.वि.अ. के अनुशासनिक एवं अपीलिय प्राधिकारी की सहायता करना।
- जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को भिन्न सतर्कता रिटर्न जमा करना, अर्थात्, मासिक, तिमाही एवं वार्षिक सतर्कता रिटर्न।
- रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न का रखरखाव।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह इत्यादि आयोजित करके भ्रष्टाचार के खतरे और इसके बुरे परिणामों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना।
- रा.ज.वि.अ. के क्षेत्रीयकार्यालयों में सतर्कता प्रशासन पर प्रशिक्षण/ कार्यगोष्ठी आयोजित करना।